सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 06/2013

बउनवान

श्री वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री पप्पू गोचर पुत्र श्री नेनकीलाल गोचर उम्र 35 वर्ष निवासी कुंज विहार कॉलोनी अटरू रोड बारां **(दूध विक्रेता)** **(अप्रार्थी)**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी की ओर से)
2- श्री प्रेमसिंह लक्षावत एडवोकेट (अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय दिनांक 12.01.2018

प्रकरण श्री वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2012 को समय 12:05 पी.एम. पर अटरू रोड बारां पर टी.वी.एस. स्टार आर.जे. 28 एस.ई.8616 द्वारा श्री पप्पू गोचर पुत्र श्री नेनकीलाल गोचर उम्र 35 वर्ष निवासी कुंज विहार कॉलोनी अटरू रोड बारां दूध विकय करते हुये मिला। आवेदक को दूध में मिलावट होने का संदेह होने पर दूध विक्रेता से आम जनता को विकय हेतु पीतल के चरों में रखे दूध में 2 लीटर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 60/- नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए 2 लीटर गाय के दूध को अलग अलग चार नमूना भाग में चार खाली साफ एवं सूखी चौडे मुह की शिशियों में डालकर बतौर प्रिजरवेटिव 20-20 बूंद फोरमेलीन डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की शीशियों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को श्री राजेन्द्र सिंह गौड़ स्वास्थ्य निरीक्षक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2012/53 दिनांक 30.11.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट [illegible] /कोटा/2012/793 दिनांक 20.11.2012 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना

जांच विक्रय किया गया, गाय का दूध सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि मद नंबर 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, मद नंबर 2 जिस प्रकार लिखी है अस्वीकार है, मद नंबर 3,4,5,6,7,8,9 जिस तरह अंकित की गई है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नही है। प्रकरण निरस्त फरमाये जाने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस गाय के दूध का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहे गाय के दूध में कोई मिलावट नहीं की गयी। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है पशुपालन कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, गाय का दूध जॉच मे स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)